

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

बनाम शुभेन्द्रादा का उपरि
 किस्म मुकदमा हुस्ती मुकदमा नं. 130
7/6/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/6/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/290 दिनांक 7/6/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 7/15 में प्रार्थीगण के नाम चक 5PS की जमाबन्दी सम्वत् 2004-72 के खाता नं. 33 में खातेदार <u>शुभेन्द्रादा का उपरि सराय राफ 0-316 ई 00</u> के <u>देववर्षी (यगा) शेष लाग 9 दत्त</u> अंकित है। जिसका नाम <u>शुभेन्द्रादा</u> है जिसकी <u>उफिल-य-उगा-व्यवसाय के काम</u> पर <u>शुभेन्द्रादा (यगा) के काम पर शपथानि</u> की दुरुस्ती की जाने की अभिशेषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 7/6/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 5PS के खाता नं. 15 में दर्ज खातेदार <u>शुभेन्द्रादा का उपरि</u> दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फेंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उप जिला लोकेल अदालत
 न्याय सिंहनगर द्वार-2018
 कैम्प कोर्ट 7/15
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर